

# ॥ राज्य विशेष शाखा, राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक:-न-5(20) पुविशा/संस्था/कानि. भर्ती/2023/13786-95 दिनांक:- 15/10/2024

## प्रेस नोट

कॉन्स्टेबल भर्ती, 2023 हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक नं-5(15)पु.फो./कानि.भर्ती-23/2023/3346 दिनांक 03.08.2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक नं-5(15)पु.फो./कानि.भर्ती-23/2023/3363 दिनांक 04.08.2023 द्वारा सीआईडी आई.बी. में कॉन्स्टेबल सामान्य नॉन टी.एस.पी.-46/टी.एस.पी.-25 एवं कॉन्स्टेबल श्वानदल-08 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी लेवल)-2022 में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 07.08.2023 से दिनांक 27.08.2023 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

पात्र अभ्यर्थियों की दिनांक 13.06.2024 से 14.06.2024 तक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित कराई गई। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सफल अभ्यर्थियों में कानि. श्वान दल पद के अभ्यर्थियों की दिनांक 25.09.2024 को भर्ती हेतु गठित चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दक्षता परीक्षा आयोजित कराई जाकर कानि. नॉन टीएसपी एवं कानि. श्वान दल के विज्ञापित पदों के अनुरूप चयन सूची तैयार कर भर्ती हेतु जारी स्थाई आदेश संख्या-04/2023 में निहित प्रावधानानुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को महानिदेशक पुलिस के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, जयपुर के पत्र क्रमांक 3515 दिनांक 15.10.2024 द्वारा चयन बोर्ड ने तैयार की गई **कानि. सामान्य (टीएसपी) की चयन सूची/बोर्ड प्रोसिडिंग का अनुमोदन किए जाने पर अन्तिम रूप से सफल/चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है:-**

### कॉन्स्टेबल सामान्य टीएसपी

S. No.	ROLL NO.	NAME	FATHERS NAME	CATEGORY	GENDER	SELECT LIST CATEGORY
1	1002383	BHUPESH SONI	KISHAN LAL SONI	OBC-NON CREAMY	Male	GEN-M-1
2	1002503	PATEL DHEERAJ JAGDISH	JAGDISH PATEL	OBC-NON CREAMY	Male	GEN-M-2
3	1002239	NARENDRA SINGH CHOUHAN	RAM SINGH CHOUHAN	GENERAL	Male	GEN-M-3
4	1002607	PRAVEEN JAIN	SHANTI LAL JAIN	GENERAL	Male	GEN-M-4
5	1002987	YASHODA DANGI	KANHAIYA LAL DANGI	OBC-NON CREAMY	Female	GEN-F-DV-1
6	1003102	HANSMUKH PATEL	RAMESH PATEL	OBC-NON CREAMY	Male	GEN-M-5
7	1002922	MAHIPAL SINGH RATHORE	NAGENDRA SINGH RATHORE	GENERAL	Male	GEN-M-6
8	1003061	UMESH NINAMA	KAILASH NINAMA	STT	Male	ST-M-1

S. No.	ROLL NO.	NAME	FATHERS NAME	CATEGORY	GENDER	SELECT LIST CATEGORY
9	1002605	DHARMENDRA SINGH RATHORE	ISHWAR SINGH RATHORE	GENERAL - EWS	Male	GEN-M-7
10	1002552	ANIL KATARA	RAM LAL KATARA	STT	Male	GEN-M-8
11	1002671	SURENDRA SINGH JHALA	NARAYAN SINGH JHALA	GENERAL	Male	GEN-M-9
12	1002898	DEEPAK TELI	RAJMAL	OBC-NON CREAMY	Male	GEN-M-10
13	1002438	SHANTILAL	TEKARAM	SCT	Male	SC-M-1
14	1002948	RATAN LAL MEENA	DEVI LAL MEENA	STT	Male	ST-M-2
15	1002968	RANJEET DAMOR	SURENDRA KUMAR	STT	Male	ST-M-3
16	1002654	SHALINI SHARMA	LALIT NARAYAN SHARMA	GENERAL - EWS	Female	GEN-F-1
17	1002855	AJAY ROAT	JAGDISH CHANDRA ROAT	STT	Male	ST-M-4
18	1002411	JITENDRA NANOMA	DEVJI NANOMA	STT	Male	ST-M-5
19	1002709	ASHISH BHAGORA	MOHAN LAL BHAGORA	STT	Male	ST-M-6
20	1002444	PUSHPA KUNWAR	HIMMAT SINGH	GENERAL - EWS	Female	GEN-F-2
21	1002522	AMAR SINGH MEENA	KARMA MEENA	STT	Male	ST-M-7
22	1002335	VISHAL MEENA	KANTI LAL	STT	Male	ST-M-8
23	1003034	MAHESHWARI MANAT	DINESH KUMAR MANAT	STT	Female	ST-F-1
24	1002932	PRIYANKA DAMOR	AMRIT LAL DAMOR	STT	Female	ST-F-2
25	1002285	SEJAN KUMARI MEENA	KANTI LAL MEENA	STT	Female	ST-F-3

चयन सूची पर लिए गए अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराई जाकर कार्यालय के नोटिस बोर्ड/इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। परीक्षा परिणाम में पूर्ण सावधानी बरती गई है किन्तु कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आसूचना, राजस्थान जयपुर की सूचना को अधिकृत माना जावे।

चयन सूची पर लिए गये समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती हेतु जारी स्थाई आदेश संख्या-04/2023 में वर्णितानुसार नियुक्ति से पूर्व मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन एवं समस्त मूल शैक्षणिक/जाति/विशेष योग्यता से सम्बन्धित मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाना है।


अतः चयन सूची के क्रमानुसार इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर में निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे:-

क्र.सं.	पदनाम	चयन सूची क्रमांक	उपस्थित होने की दिनांक	समय
01	कॉन्स्टेबल सामान्य टीएसपी	01 TO 25	24.10.2024	प्रातः 09.00 बजे

चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या-14 वर्णितानुसार निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक-एक स्वप्रमाणित फोटो प्रति साथ लेकर आने हैं:-


- 01- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- 02- जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- 03- मूल निवास प्रमाण पत्र
- 04- जाति प्रमाण पत्र/टीएसपी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र
- 05- अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र
- 06- विवाह प्रमाण पत्र (विवाहित अभ्यर्थी के लिए)
- 07- विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- 08- परित्यक्ता होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- 09- भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवा निवृत्ति प्रमाण पत्र (मूल डिस्चार्ज बुक)
- 10- राजकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता विभागाध्यक्ष द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 11- आर्थिक पिछड़ा वर्ग होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (वर्ष 2022-23 की आय का ऑनलाईन जारी प्रमाण पत्र)
- 12- विशेष योग्यता प्रमाण पत्र (एनसीसी/होमगार्ड/डिप्लोमा)
- 13- दो फोटो पंहचान पत्र
- 14- दहेज नहीं लेने सम्बन्धी घोषणा पत्र
- 15- सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र
- 16- एक से अधिक जीवित पत्नी या पति नहीं होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
- 17- आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में लिप्त या सजायाप्त नहीं होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- 18- दस्तावेज की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
- 19- एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा किसी कारण से आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
- 20- हाल ही में खींचे गये पासपोर्ट साईज के 07 रंगीन फोटो।
- 21- शारीरिक दक्षता परीक्षा/लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र।

उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित समय, स्थान, दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर यह मानते हुए कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं, चयन सूची से नाम पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

  
(राजकुमार गुप्ता)  
पुलिस अधीक्षक,  
आसूचना राजस्थान जयपुर।  
(अध्यक्ष चयन बोर्ड)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेंस, राजस्थान जयपुर।
- 2- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर।
- 3- महानिरीक्षक पुलिस, इन्टेलीजेंस, जयपुर (अध्यक्ष चयन बोर्ड)
- 4- महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेन्ज उदयपुर।
- 5- निदेशक, इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्तानुसार निर्धारित दिनांक को अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु राजकीय हरिबक्श कांवांटिया अस्पताल, जयपुर में मेडिकल बोर्ड का गठन कराने का श्रम करावें। ।
- 6- उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को भेजकर निवेदन है कि उक्तानुसार निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराने हेतु सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि को इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर में भिजवाने का श्रम करावें।
- 7- जिला पुलिस अधीक्षक जिला बांसवाडा / डूंगरपुर / प्रतापगढ / उदयपुर / राजसमन्द / पाली।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को भेजकर लेख है कि उक्त प्रेस नोट विभाग की वैबसाईट पर आज ही अपलोड कर पालना सुनिश्चित करें।

  
पुलिस अधीक्षक,  
आसूचना राजस्थान जयपुर।  
(अध्यक्ष चयन बोर्ड)

कानिस्ट्रेटल सामान्य, पद की परीक्षा हेतु।

घोषणा पत्र/शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ..... जाति ..... निवासी ..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि-  
यह कि मेरे विरुद्ध अभी तक किसी भी पुलिस थाने में किसी प्रकार का कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।  
मेरे विरुद्ध शक्ति भंग करने सम्बन्धी रिपोर्ट नहीं हुई है। न्यायालय में भी मेरे विरुद्ध कोई कार्यावाही नहीं हुई  
है।  
यह है कि मेरे विरुद्ध अभियोग संख्या ..... पुलिस थाना ..... में दर्ज अभियोग के सम्बन्ध में  
न्यायालय ..... में घालान पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त मुकदम में  
मुझे दोषी/बरी/सजीवामा का निर्णय दिनांक ..... को लिया गया।  
यह कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या ..... थाना ..... में घालान ..... न्यायालय  
में विचारधीन है।  
यह कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या ..... थाना ..... में याद तपतीरा द्वारा एकआर  
(F.R.) लगा दी गई है।  
यह कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या ..... थाना ..... में तफतीरा थाने पर विचारधीन है।  
यह कि यह घोषणा भी करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 01.06.2002 को या उसके परचात 02 से अधिक बच्चे नहीं  
हूँ। दिनांक 01.06.2002 के परचात किसी एकल प्रसव में एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो गणना करते  
समय एक ईकाई समझा जावेगा।  
यह कि यह घोषणा भी करता/करती हूँ कि मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है।  
यह कि यह घोषणा भी करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया गया।  
यह है कि मुझे किसी चयन बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा  
नियम 1969 के किसी भी पद हेतु परीक्षा में बैठने अथवा सामाजिक में उपस्थित होने से विवर्जित(debar) नहीं  
किया गया है।  
यह है कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री ..... निवासी ..... के  
साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक ..... को सम्पन्न होने के  
कारण पंजीकृत नहीं है।  
या  
मेरा विवाह श्रीमती/श्री ..... निवासी ..... के साथ दिनांक ..... को राजस्थान राज्य के बाहर  
सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।  
या  
..... अविवाहित हूँ।  
या  
..... विधुर/विधवा हूँ (पति/पति श्री/श्रीमती .....)  
या  
मे तलाक शुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)  
या  
मे परिचयका हूँ एवं मेरा विवाह श्री ..... के साथ दिनांक ..... को सम्पन्न हुआ था।  
नोट-आवेदक से सम्बन्धित उक्त बिन्दु स 0 1 से 10 में सूचना अंकित करें तथा सही(✓) का चिन्ह  
लगाएँ शेष में (X) का चिन्ह लगाएँ।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता  
(आवेदक)

सत्यापन

मैं ..... पुत्र/पुत्री/श्रीमती ..... जाति ..... निवासी .....  
सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान पूर्णतया सही है। यदि असत्य पाया गया तो मैं  
तुरंत ही शासकीय एवं कानूनी दण्ड का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता  
(आवेदक)

## घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....  
जाति....., उम्र..... वर्ष, निवासी.....  
.....घोषणा करता/करती हूँ कि:-

विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक ..... दिनांक .....द्वारा मेरी नियुक्ति कानिस्टेबल (चालक/घुडसवार) पद हुई है। मेरा विवाह दिनांक ..... को श्री/श्रीमती .....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....के साथ हुआ था। विवाह के समय मैंने एवं मेरे घर वालों ने ना तो दहेज लिया और ना ही दिया था। भविष्य में दहेज लिये जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता यथा शासन सचिव गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा। जिसके लिए मैं पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान:.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

### सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....  
उम्र..... जाति..... निवासी.....  
सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान पूर्णतया सही हैं यदि असत्य पाया गया तो मैं सभी तरह की शासकीय एवं कानूनी दण्ड का/की उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

साक्षी	
साक्षी ससुराल पक्ष	साक्षी पितृ पक्ष
1. हस्ताक्षर	1. हस्ताक्षर
नाम	नाम
पता	पता
मो.नं.	मो.नं.
2. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
नाम	नाम
पता	पता
मो.नं.	मो.नं.

घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....  
जाति.....उम्र.....वर्ष, निवासी.....  
घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....  
.....वचनबद्ध हूँ कि मैं  
तम्बाकू/गुटखा/धुम्रपान सेवन नहीं करता/करती हूँ।
2. मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....  
निवासी.....वचनबद्ध हूँ  
कि स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार कि मेरे घर पर पक्का शौचालय बना हुआ है और हम  
सभी घर वाले शौचालय का उपयोग करते हैं।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....उम्र.....  
जाति.....निवासी.....सत्यापित  
करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्णतया  
सही हैं यदि असत्य पाया गया तो मैं सभी तरह की शासकीय एवं कानूनी दण्ड के लिए  
उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

शपथ पत्र

मैं .....पुत्री/पुत्र श्री.....स्थान.....जाति.....  
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

01. मैं .....जाति से हूँ तथा मेरी यह जाति ..... (अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)(जो भी लागू हो, उसका उल्लेख करें) से संबंधित है।

02. मैं अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर /अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता/आती हूँ।

03. मेरा पुराना जाति प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक ..... को जारी हुआ है।

04. मैं दिनांक .....तक अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमीलेयर /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता/आती हूँ।

हस्ता० शपथकर्ता

सत्यापन

मैं ..... शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया है वह सही एवं सत्य है। शपथ पत्र में उल्लिखित समस्त जानकारी/सूचनाएं सही हैं तथा यदि कोई जानकारी गलत पायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी एवं मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ता० शपथकर्ता



**प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये  
जाने वाले बन्ध-पत्र का प्रारूप ड्राफ्ट बॉण्ड**

यह बन्ध-पत्र आज दिनांक ..... माह..... सन 2024  
को एक पक्ष के ..... पद ..... पर नियुक्त श्री .....  
पुत्र श्री ..... निवासी .....  
(जो इसमें आगे एतद् पश्चात "प्रशिक्षणार्थी" कहलावेगा) और दूसरे पक्ष के प्रथम जामिन  
श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... एवम् द्वितीय जामिन  
श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... (जिन्हें इसमें आगे  
एतद् पश्चात सामुहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) की आरे से राजस्थान राज्य के  
राज्यपाल (जिन्हे आगे एतद् पश्चात सरकार कहा जायेगा) के पक्ष में लिखा गया।

चूँकि सरकार ने प्रशिक्षार्थी को ..... पद पर नियुक्ति हेतु चुना है।

और चूँकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी को उस पद पर का  
स्वतंत्र रूप से प्रभार सम्भालने से पूर्व जिसके लिए उसे चुना गया है ..... की अवधि  
का प्रशिक्षण ..... और चूँकि सरकार इसमें आगे एतद् पश्चात दी हुई शर्तों पर  
प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में भेजने के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ सहमत हो गई है कि  
प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए जामिन जमानत देंगे,

और चूँकि जामिन प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन  
करने लिए जमानत देने को सहमत हो गये हैं।

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है कि—

- (1) कि सरकार के प्रशिक्षणार्थी को ..... के पद पर नियुक्ति हेतु चयन  
करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के विचार से एवम् कथित  
करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी एतद् द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे  
प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भीतर वह उपयुक्त  
कथित पद जिसके लिए कि वह चुना गया है, से न तो त्याग पत्र देगा और जिस पद के  
लिए वह चुना गया है, उसके अतिरिक्त न किसी अन्य पद पर नियोजित ही होगा।
- (2) कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित करार के अनुसरण में  
प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद् द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या  
प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र देता है या  
उक्त अनुच्छेद (1) का उल्लंघन करते हुए कही और नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी  
और जामिन पृथक-पृथक रूप से और सामूहिक रूप से वह समस्त राशि सरकार को  
वापस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को देती है, इसके साथ  
वे सब अन्य खर्चे भी सरकार को लौटायेगे जो इसमें सरकार को करने पड़े। किन्तु, इसमें  
प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दी गई यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि  
शामिल नहीं होगी।

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनों को प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान दी  
हुई वह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी, जब सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया  
हुआ वह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसी के साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपयुक्त  
अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है।

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

1. साक्षी .....
2. साक्षी .....

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

1. साक्षी .....

2. साक्षी .....

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

1. साक्षी .....

2. साक्षी .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जामिनों के पास अचल सम्पत्ति है और उस अचल सम्पत्ति का मूल्य ..... रुपये से कम नहीं है।

कलक्टर/सहायक कलक्टर/  
परगनाधिकारी/तहसीलदार के हस्ताक्षर

विशेष ध्यान देने हेतु — इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिए जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।

शपथ पत्र

(भर्ती में पात्रता जाँच हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में)  
(नोटेरी से प्रमाणित) (नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प 10/- रुपये)

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
रोल नम्बर ..... निवासी.....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मुझे राजस्थान पुलिस की कानिस्टेबल भर्ती - 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है।
2. उक्त भर्ती में मेरे रोल नम्बर ..... है।
3. पात्रता जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये सभी मूल दस्तावेज वैध एवं विधि मान्य है एवं कूटरचित (forged) नहीं है। मेरे द्वारा कोई तथ्य व दस्तावेज छुपाया नहीं गया है।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूटरचित (forged) पाया जाता है तो राजस्थान पुलिस को मेरी अभ्यर्थिता रद्द करने का एवं विधिवत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए सहमति प्रदत्त करता/करती हूँ।
5. मुझे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं विभिन्न प्रतियोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कूटरचित दस्तावेज/फर्जी/जाली/छद्मरूपेण तरीके अपनाकर परीक्षा में डिबार नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....  
निवासी..... सत्यापित करता/करती

हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्णतया सही हैं यदि असत्य पाया गया तो मैं सभी तरह की शासकीय एवं कानूनी दण्ड के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(13)कार्मिक/क-2/23

जयपुर, दिनांक: 11-05-2023.

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

परिपत्र

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के O.M. No. 139/52-Estts. dated 31.7.1952 & 28854 read with O.M. No. 31/1/63-Estts. (A) dated 26.12.1963 & O.M. No. 31/3/63-Estts. (A) dated 23.03.1964 के अनुसार प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने की शपथ लिये जाने की व्यवस्था है।

अतः राज्य में राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले अन्य शपथ-पत्रों यथा दहेज, तम्बाकू, विवाहित/अविवाहित, संतान घोषणा आदि के साथ ही राज्य में राजकीय सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कार्मिक से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे: -

"मैं ..... शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी।  
(अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)"

अतः इस सम्बन्ध में सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त निर्देशों की अधरशः पालना सुनिश्चित करावें।

(हेमन्त कुमार गेरा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
7. रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref No. : 3821602

Digitally Signed by HEEMANT  
KUMAR GERA <hkgera@gmail.com>  
Digitally Signed by Hemant Kumar  
Gera  
Designation: Principal Secretary  
To Government  
Date :11-05-2023 07:19:02